nt>

Title: Need to declare certain tehsils in Sirmour, Shimla and Kullu districts as Scheduled Tribe areas. − Laid.

श्रीमती प्रतिमा सिंह (मंडी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की दो तहसीलों राजगढ़ एवं शिलाई का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं तहसील रेणुका तथा पांवटा के कुछ भाग, जिन्हें गिरिपार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उनमें 392 गांवों में 1 लाख 89 हजार 968 लोग रहते हैं, जिनमें से 65,317 लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंध रखने वाले हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भााई दृटि से आज भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोति किया जाये।

महोदय, इसके अतिरिक्त जिला कुल्लू तथा शिमला के 15/20 क्षेत्र, तहसील रामपुर के 6/20 छहबीस, दरकाली, मुविश व काशापार तहसील रोहडू के छोआरा तथा डोडरा क्वार को भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोति किया जाये क्योंकि यह अतिदुर्गम तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भााई दृटि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है।